THE BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES.

Wednesday, the 17th September, 1947.

Proceedings of the Bihar Legislative Assembly Assembled under the provisions of the Government of India Act, 1935.

The Assembly met in the Assembly Chamber at Ranchi on Wednesday, the 17th September, 1947, at 1-30 P. M., the Hon'ble the Speaker, Mr. Vindhyeshvwari Prasada Varma in the chair.

CONDOLENCE ON THE DEATH OF MR. RAMZAN ALI.

The Hon'ble the SPEAKER : Before we begin the proceedings of the day, it is my painful duty to refer to the loss that we have sustained by the death of one of our erst-while colleagues, Mr. Ramzan Ali of Ranchi. He was elected a member of the first Bihar Legislative Assembly from the Ranchi *cum* Singhbhum Muhammadan Rural Constituency. He was one of the three members who were returned on the United Party Ticket—a party founded by Mr. Saiyid Abdul Aziz. Later on, Mr. Ramzan Ali joined the Nationalist Coalition Party of which Sri Chandreshwar Prasad Narain Sinha was the leader. Mr. Ramzan Ali died on the 10th of this month but I got the news only last evening. He was a self-made man and rose from a humble position to affluence. His charities were wide and his heart was full of the milk of human kindness. We are very sorry to have lost him from the roll of our old colleagues.

As a mark of respect to the memory of the deceased, hon'ble members would rise in their seats and observe silence for a minute

(*The hon'ble members stood up in their seats.*)

With your permission I would convey this message to the members of the bereaved family.

QUESTION AND ANSWER.

NAMES AND ADDRESSES OF THE RENT COMMUTATION OFFICERS AND THE ATPLICANTS FROM THE PURNEA DISTRICT FOR THE SAID POSTS.

16. Mr. BASUDEVA PRASAD SINHA : Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state the names and

The Hon'ble the SPEAKER : We rise just now for recess and reassemble at 4 p.m.

(Interval for lunch.)

OBSERVATION OF THE HON'BLE THE SPEAKER REGARDING QUESTION ADDRESSED TO A PRIVATE MEMBER AND REGARDING SPEECHES ON THE BIHAR STATE ACQUISITION OF ZAMINDARIS BILL.

The Hon'ble the SPEAKER : A few minutes ago Shri Jamuna Prasad Singh addressed a question through the Chair to Shri Birendra Bahadur Sinha with reference to the Bill under consideration. The Hon'ble Mr. Ramcharitra Sinha doubted whether the hon'ble member was in order in putting such a question. I held that the hon'ble member was in order in putting the question through me. My attention has since then been drawn by Secretary to Rule 62(2) of the Assembly Manual which runs thus:—

"A question addressed to a private member must relate to some Bill, resolution or other matter connected with the business of the Assembly for which that member is responsible".

One word more as regards the scope of the discussion on the Bill before the Assembly. When the discussions opened on the motion under consideration, the Zamindari system was freely commented upon. Later on, it became clear that the system, as such, was not being defended. The question, therefore, narrowed down to how best to acquire it and not whether to acquire or abolish it. In this view of the matter, the discussion has a limited scope at this stage.

LEGISLATIVE BUSINESS :

Official Bill :

THE BIHAR STATE ACQUISITION OF ZAMINDARIS BILL, 1947.
(BILL NO. 30 OF 1947.)

Mr. PRABHUNATH SINHA :

माननीय स्पीकर साहब, कई दिनों से हमलोग इस बिल पर बहस सुन रहे हैं। अभी तक सुनने के बाद या बिल को पढ़ने के बाद हमारी समझ से बिल में जो कमी है या जिस तरह से होना चाहिये था, इसी सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहना यह है कि ये सब चीजें क्रान्ति से होनी चाहिये लेकिन गांधीजी के प्रभाव से और कांग्रेस की नीति के मुताबिक जिस शान्तिमय उपायों से हमलोगोंने ब्रिटिश सरकार के हाथों से अपना हक हासिल किया है उसी शान्ति से हम अपने देश में भी परिवर्तन करना चाहते हैं। क्रान्तिकारी परिवर्तन को क्रान्तिकारी ढंग से

करना है। मैं पहले कृष्णवल्लभ बाबू और बिहार गवर्नमेंट को बधाई देता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के transfer of power के बाद, जो कि सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाता है, इस बिल का पेश करना यह दूसरा बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन है जिसका असर समाज पर बहुत अधिक पड़ेगा। इस बिल द्वारा हम बड़े से बड़े राजा और महाराजा और गरीब से गरीब जमीन्दार की स्थिति में परिवर्तन लाने जा रहे हैं। लेकिन इसकी बहस नहीं है। आज तो हमें अपने समाज का पुनर्संगठन करना है और इस परिवर्तन को करने में बहुत सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है और कुछ आदमियों को बलिदान करना पड़ता है। हम जिस संस्था के हैं और जिसकी ओर से यहां बैठे हैं उसके सिद्धान्तों का हमें सामने हर समय रखना है इसलिये हमें जमीन्दारों से विरोध नहीं है बल्कि जमीन्दारी प्रथा से है इस प्रथा से हमारा ही विरोध नहीं है बल्कि प्रान्त का एक एक आदमी, जिसका जमीन से सरोकार है, इसका विरोध कर रहा है कि यह हमारे रास्ते में रोड़ा है और इसको हटाकर आगे बढ़ना है। इसलिये इस क्रान्तिकारी कदम उठाने पर हम बधाई देना चाहते हैं मगर जिस तरह का क्रान्तिकारी बिल होना चाहिये था उस तरह का इसका मसौदा (draft) नहीं है। इसमें जिन भावनाओं को होना चाहिये था वे नहीं हैं। सिवा इसके कि जमीन्दारी प्रथा खतम की जायगी इसमें और कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कानून बन जाने के बाद आप नोटिस देंगे और तब वह जमीन्दारी Crown में vest हो जायगी यानी बिहार सरकार की सम्पत्ति हो जायगी और जिनका उसपर अधिकार था उससे वे वंचित हो जायेंगे। इसके बाद है कि मुआवजा कैसे दिया जायेगा और [उसके लिये कैसा अफसर होगा। उसके बाद उस जमीन्दारी का क्या और कैसा इन्तजाम होगा इसका जिक्र उसमें नहीं है। इस बिल का सरोकार आठ लाख आदमियों से है। आप जमीन्दारी तो ले लीजियेगा उसके बाद ये लोग बस्ता लेकर कचहरियों में चक्कर काटते रहेंगे कि मुआवजा इतना होना चाहिये और उतना होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये। होना यह चाहिये कि जिस दिन आप जमीन्दारी दखल करते हैं उसी दिन मुआवजा जो देना हो मिल जाना चाहिये या न मिलना हो तो वैसा कह देना चाहिये।

मुआवजा के बारे में कहा जाता है कि equitable होना चाहिये और कांग्रेस घोषणा को दुहाई दी जाती है। फैजपुर कांग्रेस के बाद जब असेम्बली का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त कहा गया था कि आधी मालगुजारी रैयतों को माफ कर दी जायगी मगर इसमें कुछ नहीं है। होना यह चाहिये कि जितना खजाना जमीन्दारों से मिलता था वही लें और बाकी रुपया जो जमीन्दारों को बचता था उसमें से आधा माफ करना चाहिये और आधा रुपया जो बचता है उसमें से मुआवजा दें और रैयतों के बांध खाड़, सड़क और दूसरे कामों में खर्च करें। प्राइमरी शिक्षा जमीन्दारों के जिम्मे थी मगर अब तो उनके पास जमीन्दारी नहीं रहेगी और खास महाल में जा रही है तो उसकी आमदनी का ५० प्रतिशत जैसा कि पण्डित गिरीश तिवारी और कैरव जी ने कहा है, इसपर खर्च होना चाहिये जिसके लिये आप जमीन्दारों पर दोष लगाते थे।

इस हाउस के पुराने मेम्बर जो पुरानी कौंसिल में थे उनको याद होगा कि Religious Endowment Bill दो दो बार पेश हुआ था और एक सेलेक्ट कमिटी में भी गया था। मैं भी उसका एक मेम्बर था। इसके बाद गवर्नमेण्ट खतम हो गई लेकिन आजतक उसका कोई जिक्र नहीं है। मठ के महंथों को, जिनके पास छोटी बड़ी जमीन्दारियां हैं, यदि मुआवजे के रूपये दे दिए जाएँगे तो वे इन रुपयों को खर्च कर देंगे और इससे समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी। आप जानते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जायदाद को वक्फ किया है या धार्मिक कामों के लिए दे दिया है उनका मतलब यह था कि उनकी जायदादों की आमदनी के द्वारा हिन्दू पंथों, हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू धर्म की रक्षा और प्रचार हो। लेकिन मुआवजे के रुपए से यदि महंथों ने ऐश-आराम करना शुरू कर दिया और वे मोटरों में घूमने लगे तब तो धर्म प्रचार या धर्म-रक्षा का जो असल मतलब है वह तो पूरा नहीं होगा। इसलिए इस बिल में यह एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि वह संपत्ति जो धर्म के लिए दे दी गई है वह बरबाद नहीं होनी चाहिए और उसे धर्म के काम में ही लगाना चाहिए।

इसके बाद मैं देखता हूं कि Compensation Officers की बहाली होगी लेकिन इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए और इनको कौन बहाल करेगा इन बातों का कहीं जिक्र नहीं है। शायद एक कोर्ट भी बनेगा जिसका चेयरमैन हाईकोर्ट के जज की योग्यता का कोई व्यक्ति होगा। मैं चाहता हूं कि जो भी Compensation Officer हो वह सदराला या डिस्ट्रिक्ट अफसर से नीचे का आदमी नहीं होना चाहिये। नए आदमी को नहीं रख करके पुराने आदमियों को बहाल करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह बड़े खतरे की बात होगी और फैसला के वक्त बड़ी गड़बड़ी भी होगी। इसलिए मैं सलाह देना चाहता हूं कि जब सेलेक्ट कमिटी में आप बैठें तो इन बातों का ख्याल करके इन अफसरों की योग्यता निर्धारित कर दीजिए कि ये सदराला या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से नीचे दर्जे के आदमी नहीं होंगे।

इस बिल के सम्बन्ध में और भी बातें हैं जिन्हें मैं समझता हूं सेलेक्ट कमिटी में ही कहना उचित होगा।

अब रही बात संशोधन की। माननीय चंद्रेश्वर बाबू ने संशोधन पेश किया है कि इस बिल को सर्वसाधारण (Public opinion) की राय के लिए भेजा जाय। मैं समझता हूं कि इस बिल के सम्बन्ध में सर्वसाधारण की राय बहुत भयंकर है। यदि आप आम सभा करके इस बिल पर राय लें तो आपको यही राय मिलेगी कि मुआवजा एकदम नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि एक revolutionary step लेकर वह इस चीज को जल्द-से-जल्द खतम कर दे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय के प्रस्ताव का कि यह बिल सेलेक्ट कमिटी में जाय समर्थन करता हूं और माननीय चंद्रेश्वर बाबू के संशोधन का कि यह बिल circulation में जाय विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है इसको मद्देनजर रखते हुए बिल में एक ऐसा provision भी जोड़ा जायगा जिससे रैयतों की मालगुजारी माफ हो।

Mr. ZIAUR RAHMAN :

صدر محترم - اسوقت زمینداری Acquisition Bill جو ایوان کے سامنے پیش ہوئی ہے اسمیں دو چیزیں زیر بحث ہیں - ایک تو یہ کہ public opinion کہ آیا یہ بل سلکٹ کمیٹی میں بھیجی جائے یا یہ کہ

کے لئے اسکو گشتي میں بھیجا جائے - ہم ان دونوں چیزوں کے متعلق کچھہ کہنا نہیں چاہتے ہیں اسلئے کے کہیں بھی یہ بل جائے یہ تو پاس ہو کرہي رہیگی - ہم صرف اسوقت tenure-holder کے متعلق کچھہ کہنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں - اور اضلاع کے متعلق تو ہمیں معلوم نہیں ہے مگر اپنے پورنیہ ضلع کے متعلق پوری واقفیت ہے کہ یہاں tenure-holder کي تعداد بہت زیادہ ہے - اس نوعیت کی زمین یہاں بہت کافي ہے اور بڑے چھوٹے ہر قسم کے tenure-holders ہیں - پانچ دس بگہہ والے بھی tenure-holders ہیں - ہم تو وہاں کے لئے tenure کو رعیتی زمین سمجھتے ہیں وہاں کي زمین کی حالت ایسی ہے کہ کچھہ زمین تو tenure-holder کے قبضہ میں ہے اور کچھہ رعیت کے - اور کہیں ایسا بھی دیکھنے کا کہ ساري زمین tenure-holders ہی کی ہے - سروے میں Record-of-Rights انکا خزانہ مقرر ہے بل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو زمین tenure-holders کے قبضہ میں آگئي ہے اسکا لگان گورنمنٹ مقرر کریگي - ہماری سمجھہ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ خزانہ انکا مقرر ہے - ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ جو خزانہ tenure کا سروے میں مقرر ہے اسکا رسدی مطابق بتوارہ ہو جائے - جو زمین اسوقت رعیت کے پاس ہے وہ چوکہ گورنمنٹ کے قبضہ میں رہیگی اسلئے رسدي مطابق گورنمنٹ کو اسکا خزانہ دینا چاہئے جو اس tenure-holder کے قبضہ میں رہیگی اسکا خزانہ رسدي مطابق جو خزانہ سروے میں مقرر ہے tenure-holder کو لگنا چاہئے -

دوسری چیز یہ ہے کہ پورنیہ والوں کا یہ دستور ہے کہ چاہے رعیت ہو یا tenure-holders وہ اپنی زمین کا کچھہ حصہ خاص مقصد کے لئے پرتی رکھتے ہیں ایک تو مویشیوں کیلئے چراگاہ کے لئے اور کچھہ حصہ مکان رغیرہ چھانے کے لئے گھاس اور گھر رغیرہ پیدا کرنے کے لئے - اگر یہ زمین انلوگوں سے لے لیجاتی ہے تو انہیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑیگا - چراگاہ نہیں ہونے کي وجہہ سے مویشیوں کو فروخت کردینا پڑیگا دوسرے مکان رغیرہ چھانے کیلئے انہیں گھاس اور گھر نہیں ملیگا - پورنیہ میں عام طور سے لوگوں کا مکان پھوس کا ہے - صرف جو بڑے لوگ ہیں انکا مکان پختہ ہے وہ لوگ جو پھوس کا مکان رکھتے ہیں بےخانما ہو جائینگے -

تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بل میں دیکھتے ہیں کہ ہاٹ بازار بھی گورنمنٹ اپنے قبضہ میں لیلیگی - ہاٹ بازار تو عموماً زمیندار tenure-holders اپنی خاص زمین میں لگاتے ہیں - رعیتی یا زمینداری سے اسکو کوئی واسطہ نہیں ہے - تولہ بتی وصول ہونا وقتی چیز ہے گر ہاٹ بازار والی زمین tenure-holders کی کاشتکاری میں ہوتی تو سال بسال جنسی آمدنی اس سے پیدا کرتے نسلاً بعد نسلاً تصرف کرتے رہتے اور گورنمنٹ اسکو نہیں لیتی tenure-holders کو بجائے جنسی آمدنی کے نقدی آمدنی ملتی ہے - ہاٹ بازار جو tenure-holders اپنی خاص زمین میں لگاتے ہیں اسکا انسے چھین لینا بہت بے انصافی ہوگی -

بل میں زمینداری کی قیمت جو بتائیگئی ہے وہ بہت کم ہے زمینداروں نے پچیس گنا - تیس گنا - اور چالیس گنا قیمت پر زمینداری خریدی ہے ابھی حال ہی میں ایک زمینداری ہمارے ضلع میں فروخت ہوئی ہے - جسکی آمدنی پچیس ہزار تھی - وہ دس لاکھہ میں بکی ہے - اس سے آپ قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں - پورنیہ ضلع کا کچھہ عجیب حال ہے - وہاں زمین تو بہت کافی ہے لیکن صرف دیکھنے ہی کے لئے ہے - پیداوار اسقدر کم ہے کہ سو بیگھہ والا کاشتکار بھی سال بھر خوش حالی سے نہیں کہا سکتا ہے tenure-holders کے ماتحت جو سب رعیت ہیں وہ جو زمین رکھتے ہیں وہ اصل میں tenure-holders کی ہے - رعیت لوگوں نے روپیہ دیکر وہ زمین نہیں خریدی ہے اور نہ نذرانہ دیکر حاصل کی ہے بلکہ سرزے کے قبل tenure-holders نے انلوگوں کو وقتی طور پر زمین دی تھی - اتفاق سے اسوقت سرزے اگیا اور انلوگوں کو رعیتی حق حاصل ہو گیا - ان سب چیزوں کے متعلق ہماری گذارش ہے کہ منسٹر انچارج یا وہ ممبر حضرات جو سلکٹ کمیٹی میں منتخب ہونگے - کافی غور فرمائینگے - پورنیہ کے لئے خاص خیال فرماینگے خاص پورنیہ میں جس tenure میں ایک سو ایکڑ زمین ہو اسکو رعیتی حق ملنا چاہئے اور رعیتی نرعیت سمجھاجائے - وہاں سب زمین میں ہر سال پیداوار نہیں ہوتی ہے وہاں ایسی زمین بہت ہے کہ کاشتکار تین برس پیدا کرتے ہیں اور پھر تین چار برس پرتی چھوڑ دیتے ہیں - جو اچھی زمین ہے وہی ہر سال آباد ہوتی ہے

Mr. BHAGWAT PRASAD :

माननीय स्पीकर साहब, मैं माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि जब से मैं इस असेम्बली का सदस्य हुआ हूं तभी से इसकी बहुत उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। यह भी ठीक ही हुआ है कि भारत को राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद इस असेम्बली ने आर्थिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठाया है। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि मैं एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधि हूं जो सभी दृष्टि कोणों से एकदम शोषित और पीड़ित हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद आर्थिक स्वतंत्रता की बात चल रही है इससे बढ़ कर खुशी उस समाज को और क्या हो सकती है। मैं यह भी मानता हूं कि यह हमारा कोई अन्तिम प्रयास या प्रयत्न नहीं है क्योंकि जमींदारी प्रथा को उठ जाना ही हमको अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचा देता है। हमारी सरकार, हमारे नेताओं, का लक्ष्य रामराज्य प्राप्त करना रहा है, एक ऐसे समाज की रचना करना जिसमें सब लोगों का बराबर अधिकार हो और जमीन जोतने वालों की हो। स्पीकर साहब, इस हाउस के अंदर इस प्रस्ताव पर चार दिनों से बहस चल रही है, आज उसका चौथा और शायद, अन्तिम दिन है।

An Hon'ble Member :

कल भी इस पर बहस होगी।

Mr. BHAGWAT PRASAD :

बहुत से लोग जमींदारी प्रथा की बुराई के ऊपर बोल चुके हैं। मैं उन दलीलों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मेरी राय में तो यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि जमींदारी रहे या उठा दी जाय और हमारे जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि भी इस बात पर बहस नहीं करना चाहते कि जमींदारी रहे या न रहे। मौलिक प्रश्न, तात्कालिक प्रश्न यह है कि यह उठायी कैसे जाय। मैं इसकी तुलना अंग्रेजी सरकार की भारत नीति से करना चाहता हूं। अभी जो इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री मिस्टर एटली हैं, जिनके शासन काल में भारत स्वतंत्र हुआ, इन्हें पहले से ही इस सिद्धान्त को कि "भारत स्वतंत्र होगा" स्वीकार किया गया था। प्रश्न यह था कि वह स्वतंत्रता हिन्दुस्तान को दी

कैसे जाय। अभी हमारी सरकार के सामने इस प्रथा को उठाने की जो स्कीम है उसके मुताबिक मुआवज़ा देकर यह प्रथा उठायी जायेगी। इस मुआवजा की बात से मुझे उतनी ही तकलीफ होती है जितनी हमारे भारत के विभाजन से हुई है। जिस प्रकार अंग्रेजी सरकार की नीति ने हिन्दुस्तान की राजनीति में पृथक निर्वाचन (separate electorate) के सिद्धान्त को घुसा कर हिन्दुस्तान को दो हिस्सों में कर दिया उसी तरीके से हम आज यह देखते हैं कि मुआवजा के सिद्धान्त को स्वीकार कर इस बिल की सभी अच्छाइयों को नष्ट कर दिया गया है। मेरे कहने का यह अर्थ कदापि नहीं कि जमींदारी बिलकुल मुफ्त में ले ली जाय। ऐसी बात की कल्पना भी करना बहुत कृतघ्नता की बात होगी। मैं मुआवजा के सिद्धांत के विपरीत हूं। मैं यह चाहता हूं कि कोई इस तरह का बोर्ड बने जिसमें बड़े २ ईमानदार व्यक्ति हों जो इस बात का निर्णय करें कि कौन जमींदार सहायता पाने के लायक है, कौन नहीं। जमींदार वर्ग को हटाकर उसी जगह एक धनी वर्ग की सृष्टि करना यह तो बिलकुल ही अच्छी बात नहीं होगी। बहुत से जमींदार हैं जिनको एक पाई भी मुआवजा नहीं चाहिये। वे समाज में अच्छी तरह से रह सकते हैं। लेकिन जो लोग अपना रहन-सहन नहीं निबाह सकते हैं, जिन्हें अपना गुजर बसर करने में तकलीफ होगी जमींदारी हट जाने के बाद उनको आप जरूर उचित मुआवजा दें। मेरी राय में अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रान्त के आर्थिक संतुलन के ऊपर एक बहुत भारी धक्का पहुंचने का डर है क्योंकि १३ करोड़ आमदनी वाली जमींदारी अगर मुआवजा देकर खतम की गयी तो कई एक करोड़ रुपयों का सवाल उठेगा और अगर हमारी सरकार इतना रुपया खर्च कर मुआवजा देगी तो उसकी क्या हालत होगी? मुझे तो कुछ ऐसा मालूम होता है कि इस मुआवजे की नीति से सरकार आर्थिक संकट में पड़ जायेगी वह बहुत वर्षों तक कम से कम दस बारह वर्षों तक इतनी पंगु हो जायेगी कि एक भी जनहित का काम नहीं हो सकेगा। वही होगा कि 'तवे से निकले तो भाड़ में पड़े'। मैं तो वर्त्तमान प्रथा का रहने देना पसंद करूंगा बजाय इसके कि सरकार को इतने आर्थिक संकट में गिरा दिया जाय कि उसके बाद उससे जनहित का कोई काम नहीं हो सके। इसके बाद सिर्फ एक

बात के सम्बंध में मैं कहूंगा। इस बिल में कुछ ऐसी बात नहीं है कि जमींदारी एक बार ही उठा दी जायेगी। मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह की बात हो, कोई तिथि या तारीख मुकर्रर हो जाय कि उसके बाद जमींदारी नहीं रहेगी, सभी जमींदारी सरकार के हाथ में आ जायेगी। आप लोगों ने देखा कि अंग्रेजों ने 'भारत छोड़ो' की तारीख निश्चित कर दी और जब वे इस निश्चय पर पहुंचे तो उनके प्रतिनिधि लार्ड माउन्ट बेटेन ने जिस मुस्तैदी के साथ काम किया है वह सब को मालूम है। उन्हों ने १५ महीने के काम को पांच छ: महीने में कर दिखाया है। इसी तरह से आप लोगों को इसकी अन्तिम तारीख निर्णय करना है और ज्यादा से ज्यादा ३१ मार्च, १९४८ के पहले जमींदारी को खतम करने का निश्चय करना चाहिए। इस के लिए बिल में कोई प्रोविज़न (provision) नहीं है। लेकिन अब आप फैसला कर लेंगे कि जमींदारों के हाथ से जमींदारी एक निश्चित दिन के पहले ले लें तो इस तरह का कोई प्रोविजन इस बिल में करना होगा।

इसके बाद मैं अपने जमींदार भाइयों से कुछ कहना चाहता हूं। आप लोगों का ख्याल है कि जमींदारी के छिन जाने के बाद आप लोगों की हालत बुरी हो जायगी आप के पास न सिर्फ धन है, सम्पत्ति है बल्कि इसके अलावे विकसित मस्तिष्क भी है। आप के पास बुद्धिबल है। आप लोग बुद्धिबल के प्रभाव से समाज का अगुआ बने रहेंगे। जब आप के पास बुद्धिबल है तो आप बराबर सूबे और समाज का नेतृत्व करेंगे। इसलिये मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप मुआवजा की जिद न करें। अगर आप मुआवजा की ज़िद करेंगे तो इस बिल की सारी शोभा नष्ट हो जायेगी। जिस तरह अंग्रेज अपनी सद्भावना दिखला कर गये हैं उसी तरह से आप भी अपनी सद्भावना का परिचय दे कर जमींदारी खतम होने में मुआवजा की मांग नहीं करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चन्द्रेश्वर बाबू से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस लेकर अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देंगे।

Mr. SIDIU HEMBROM:

माननीय स्पीकर साहब, इस हाउस के अन्दर जमींदारी खतम करने के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ दो बात इस बिल के सम्बन्ध में आप के सामने रखूं।

The Hon'ble the SPEAKER:

क्या आप इस बिल के पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में ?

The Hon'ble Mr. SRI KRISHNA SINHA:

सभापतिजी, जो बातें श्रीचन्द्रेश्वर बाबू ने अपने भाषण में कही हैं उस का जवाब एक छोटानागपुर से चुने हुए सदस्य ही दे सकते हैं।

The Hon'ble the SPEAKER:

इस सम्बन्ध में आप बोल सकते हैं।

The Hon'ble Mr. SRI KRISHNA SINHA:

चन्द्रेश्वर बाबू ने अपने भाषण में छोटा नागपुर के बारे में कहा है और उसी के सम्बन्ध में वे बोलना चाहते हैं।

The Hon'ble the SPEAKER:

मेरे कहने का मतलब यह है कि चन्द्रेश्वर बाबू ने जो यह कहा है कि छोटानागपुर के लोग नहीं चाहते हैं कि जमींदारी प्रथा हटायी जाय उसके बारे में आप बोल सकते हैं। जमींदारी प्रथा अच्छी है या बुरी इसके सम्बन्ध में आप को अब बोलने की आवश्यकता नहीं।

Mr. SIDIU HEMBROM:

मैं सबसे पहले आप के जरिये यह कह देना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां इस वक्त रैयतवारी प्रथा जारी है। हमारे सिंहभूमि जिले के कोलहान में जमींदारी प्रथा बिल्कुल नहीं है। इसलिए जमींदारी प्रथा के बारे में मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है अभी इस हाउस में हमारे कई मेम्बरान जमींदारी प्रथा के ऊपर बोल गये हैं उसी से मुझे इसके बारे में कुछ अनुभव हुआ है। सिंहभूमि में भी कोलहान को छोड़ कर और तमाम जगहों में और समूचे छोटानागपुर में जमींदारी प्रथा है। इस लिए एक आदिवासी नुमाइन्दा होने की वजह से मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। इस हाउस के सामने हमारे चन्द्रेश्वर बाबू ने कहा है कि छोटानागपुर के आदिवासी जमींदारी प्रथा को उठाना नहीं चाहते हैं लेकिन मैं आदिवासियों की तरफ से यह कह देना चाहता हूं कि वे लोग

जमींदारी को जल्दी से जल्दी उठाना चाहते हैं। जमींदार १५० वर्षों से हमारे आदिवासियों के ऊपर राज कर रहे हैं। उनकी कमाई पर हमारे जमींदार भाई बहुत दिन मौज किये हैं। अब देश की स्थिति बदल गयी है, हमारे आदिवासी लोग इस बोझ को जल्द से जल्द फेंक कर दूर कर देना चाहते हैं। इस लिए हम चाहते हैं कि यह बिल circulation में नहीं जाय। मैं चाहता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमिटी में जाये और जहां तक जल्द हो, कानून का रूप धारण करें। इस बिल के Statement of Objects and Reasons में यह जो कहा गया है कि for this reason Government have decided that the time has come to do away with the existing out-moded agricultural framework known as the Zamindari system and to replace it by a Ryotwari system analogous to that of Bombay and Madras Provinces. इस को पढ़ कर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मुझे इसलिए अफसोस हुआ है कि हमारे कोल्हान में बृटिश सरकार के आने के वक्त से ही रैयतवारी प्रथा जारी है लेकिन अभी तक वहां की खेती में उन्नति नहीं हुई है। इसकी वजह कुछ भी हो लेकिन मैं इस हाउस के मेम्बरों से कह देना चाहता हूं कि जमींदारी प्रथा को उठा कर रैयतवारी प्रथा जारी करने से हमारे गरीब किसान भाइयों का, जो कुचले हुए हैं, कुछ वास्तविक भलाई नहीं होगी। हमारी पोलिसी क्या होनी चाहिए? अब हमारी लोकप्रिय (Popular) सरकार अपने हाथ में जमींन्दारी को ले रही है तो उसे किसानों की भलाई के लिए यही करना होगा जैसा १९१७ में रूस में हुआ था। लेनिन ने कहा था कि तमाम vested interest, तमाम पूंजीपतियों को एक दिन में एक कलम से उठा देना चाहिए और वैसा ही किया। अभी जैसी मौजूदा हालत है सिर्फ जमींदारी प्रथा के उठाने ही से किसानों की वास्तविक भलाई नहीं होगी।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह मुआवजा के बारे में है। कुछ मेम्बर भाइयों ने कहा है कि मुआवजा देना चाहिए और कुछ भाइयों ने कहा है कि नहीं देना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि जमींदारी प्रथा को जल्द खतम करना चाहिए और अंतिम पिण्ड के रूप में कुछ मुआवजा भी देना पड़े तो भी उनसे छुटकारा

होना चाहिए। हमारे ज़मींदार भाई १५० वर्षों से किसानों को काफी शिकार बना चुके हैं। हमारे आदिवासी भाई मुआवजा देने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि अभी जो मुआवजा देने का रेट बांधा गया है, वह नहीं होना चाहिए। इस चीज पर सिलेक्ट कमिटी में विचार होना चाहिए। हमारे कुछ राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि इस सूबे की उन्नति क्रान्तिकारी तरीके से हो। क्रान्तिकारी तरीके अपनाने से हम समझते हैं कि सूबे को विशेष फायदा नहीं होगा। मैं इस हाउस को बाप के जरिये मुआवजे के बारे में एक बात कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूं। वह बात यह है कि अभी जैसी परिस्थिति है, उसके ख्याल से हमारे आदिवासी भाई जमींदारों को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हैं।

*Mr. BIR CHANDRA PATEL: Sir, it is one of the ironies of victory that the defenders of the *stutus quo* have failed to take the lessons of history in time, howsoever gifted and keen intellectuals they may be. I have hardly heard on the floor of this House a more brilliant speech than was made the other day by Mr. Chandreshwar Prasad Narain Singh and I think if it could be given to any body in the House to defend a lost cause he could not have defended it better than he did. But unfortunately he was defending a cause which has definitely been lost not today but years ago. Sir, the amendment for circulation which was moved by Mr. Chandreshwar Prasad Narain Singh, though apparently a motion for circulation, was really a speech meant in the defence of the system which was about to be abolished. That is why on the floor of this House we have had the occasion of hearing speeches which sought to make out a case for the abolition of the system itself, but now it is clear that all sections of the House are agreed on this point that this system must go. The only point on which the debate really matters is the point on the principle of compensation. We have heard on the floor of this House, Sir, speeches in which Government have been very severely criticised by their own party members for having agreed to give compensation to the landlords, but the basis on which Government have brought this Bill is the Congress Manifesto and from that it would be clear that we were going to acquire zemindari after paying compensation. An issue was raised by Mr. Chandreshwar Prasad Narain Singh as to what is an equitable or adequate compensation which is possible at the present time and I think that the rate of compensation which has been fixed by the Government in this Bill is the best that can be thought of from the landlord's point of view. The question before all the landlords is either have this compensation today or after a few months hence a situation will arise when

* Speech not corrected by the hon'ble member.

it would be impossible for the Government to give compensation to any landlord. Therefore when the Hon'ble Mr. Krishna Ballabh Sahay, in one of his famous speeches, said that after Cornwallis he was the greatest friend of the landlords, he was speaking the truth. Events are moving at a speed which is staggering indeed. The British Empire which was here has abolished the imperial system in the course of a few months and the Indian Independence Bill did not take more than 10 minutes in the House of Commons. If that powerful system could go after a ten minutes debate in the House of Commons there is no reason why all these could not have been finished here in the course of a few days, but we are probably unaware of the urgency of the problem today. The issue before us is, either decide this question of the abolition of Zamindari now and here in the Audrey House or it will be decided on the *bakasht* lands in the villages and it will not be possible for the Government with all its Governmental power, to give protection to whatever has remained to the landlords. It is, therefore, Sir, in the fitness of things that the hon'ble member who has moved this amendment for circulation should realise the difficulties of the Government. It might be impossible for this Government after a few months, in spite of the fact that it is a Government whose primary duty is to maintain law and order, to give that protection which they would expect or need from this Government. There are certain forces which can upset not only social organisations but Government's also and I think that the present time is not only a life and death struggle for the class of landlords but it is equally a life and death struggle for the Government. Either we abolish zamindari and thereby fulfil the sacred pledge or we are scrapped off. We have not the courage to go back to our constituencies, as has been aptly put by one of the hon'ble members. It is a sacred pledge which it was imperative for the Congress Government to have carried out and the day has come.

In this connection, Sir, a reference has been made, in the course of the debate in this House, regarding the comparative merits and demerits of zamindari management and the *khasmahal* management. I respectfully submit, Sir, that this comparison was not altogether relevant to the issue. I think the gentleman who criticised the State Acquisition of Zamindaris Bill on the fact that the *khasmahal* management had shown no better record than the Zamindari management forgot one fundamental thing and that is this, that the income from the Zamindari when it is managed by *khasmahal* (even if I take it for granted that it will be managed by *khasmahal* for all time to come) will be the income of the Government and Government means the people. Unfortunately, since we have been ruled by a foreign power for such a long time, we sometimes confuse the people's Government with the Government that ruled this country and the Province so long. Today, Government means the Government whose income is the income of the people, whose income will be spent in the interest of the people, for the people and by the people. Therefore, there might be hundred and one short comings in the *khasmahal* management and it might be that the *khasmahal* management might not be an ideal one but we should not forget one thing that whatever money will go to

the State after the acquisition of Zamindari will be the money in the hands of the people and not in the hands of a class of people. That is why I say, Sir, that any reference to the *khasmahal* management, or the comparative merits and demerits of the two systems of management, is really an irrelevant point. It is the opinion of some people that the British administrators were more efficient and more experienced—though I question it—than ourselves, and therefore the British system should remain in preference to the indigenous system.

The argument against *khasmahal* management and in favour of zamindari management smacks something of the nature of that argument and therefore I think, Sir, that the question is irrelevant. Sometimes Sir, some hon'ble members have raised the question: 'Why not nationalise all means of productions? why not acquire, on behalf of the State, all means of production?' To that argument my reply is that history does not take a leap, it moves by stages. Today we have come to that stage of movement of history where the abolition of zamindari is a reality. Tomorrow and, certainly, tomorrow a Bill will come when the Government will have no other choice except to nationalise all means of production whether it is in land or in factories or in mines. This is only a step forward and it does not mean that this is the last step. We have begun our journey and this journey, though it may not be a long one, will be a journey by stages. We are going to attain the end of this journey through peaceful and non-violent means. Therefore, to those friends, who as a counter to the Government, placed the argument of nationalisation of all means of production, the reply is that Government may find it possible in some future date, when the time is ripe for it to take over all means of production just as it is going to take over zamindari today.

Some other issues have also been raised. An issue has been raised that the rate of compensation provided in the Bill is not uniform. To that a very comprehensive reply has been given by the Hon'ble Pandit Binodanand Jha. I will add only one sentence to it and it is this. No thing more equitable or better could have been provided. After all, it is the Law of Income tax, with which we all are familiar, that higher the income, the greater is the rate of taxation. It is on that very principle that we have a graded system of compensation. The larger the zamindari, the lower is the rate of compensation; and smaller the zamindari, the higher is the rate of compensation. We are proceeding towards the creation of a society where economic inequalities are going to be ironed out as far as possible and it is a step in that direction. If you pay as compensation 12 times to a zamindar whose income is rupees five hundred, he would not be receiving much in comparison to a zamindar whose income is one lakh and who would be receiving five times as compensation. I think a more equitable provision from the landlord's point of view, and particularly from the smaller landlord's point of view would not have been provided. Therefore, I think any objection as to the want of uniformity in the rate of compensation is against the interest of the smaller landlords, and I think the House will realise this.

Now the simple question that now remains is whether the Bill should go to a Select Committee or whether it should be sent for circulation, —that is the real question for this House to decide. In this connection, Sir, I have only to say that this Zamindari Bill which has been introduced by the Hon'ble Mr. K.B. Sahay is something in the nature of an emergency legislation. (An hon'ble member—Quite right.) The question is either now or never. 'Now or never' is not from the point of view of tenants. It is 'now or never' from the point of view of the other side. If this rate of compensation is not acceptable to the landlords today, a time will come and that time will come very soon, when it may not be possible for this Government or for any Government, as a matter of fact, even to speak of compensation, let alone of giving. The speech of the hon'ble member while moving his motion for circulation was a brilliant one and as I have said in the beginning, I have hardly heard a more brilliant speech on the floor of this House. But when I search for the arguments of Mr. Chandreshwar Prasad Narain Singh, I find that his entire argument was in support of the zamindari system and I took some pains to find out as to what are the arguments he advanced in favour of his motion for circulation. I found only one argument in favour of it. When we are going to have such an important measure, it is only just and proper that we should send this Bill for eliciting public opinion. Now what this public opinion is, Sir? Does Mr. Chandreshwar Prasad Narain Singh want to suggest to the House that he does not know the public opinion on the subject? Probably the proper question that could have been put before the public would have been if there was a Bill on behalf of the Government enquiring whether any compensation should be paid or not. Possibly that would have been the proper thing to be sent to the people for eliciting opinion. But, Sir, on this issue I fail to see as to what doubt there is in the mind of Mr. Chandreshwar Prasad Narain Singh or in the minds of those who have spoken for circulation of the Bill for eliciting public opinion. If the Bill were to be referred for public opinion,—the opinion of the largest number of people as I understand by it—it would come back with results very surprising to the members who have spoken for circulation. But we want to avoid that, Sir, because we want to give compensation according to our obligation, as mentioned in the Congress Manifesto. I think, Sir, I have tried to fathom the reason within myself as to why this amendment for circulation was moved, and I have failed to find any. I would be the last man to attribute any motive to such a great character as Mr. C. P. N. Singh but possibly, for those who do not know him and particularly those who do not know him and his views intimately, his amendment is liable to a misunderstanding. Possibly he has given some room for misunderstanding that this amendment for circulation is only a back-door method of opposition to the abolition of the zamindari system. Otherwise, it would be inconsistent with the great character that he has shown throughout his public life. But he should blame himself, Sir, if he has put himself and his amendment to that misunderstanding

It is in that spirit, Sir, that those of us who have great admiration and respect for him have had the courage to request him not to press this amendment and I assure Mr. Chandreshwar Prasad Narain Singh that it is

not merely in the formal sense that this appeal is being made. I fail to understand the reason why such an amendment should have been brought before this House except that it gave us an occasion of hearing one of the best speeches that has ever been made in this House. I would request Mr. Chandreshwar Prasad Narain Singh, though this request is made very late, not to press his amendment and accept the motion of The Hon'ble Mr. Krishna Ballabh Sahay for referring the Bill to the Select Committee.

Mr. RADHAKANT CHOUDHARY :

सभापति जी, मैं माननीय बाबू चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह जी की जो तरमीम है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपने पक्ष में उन्होंने जो बातें कही हैं उनमें जो जरूरी बातें मैं समझता हूं उन्हीं का जवाब देना चाहता हूं। वे नहीं महसूस कर रहे हैं कि यह urgent nature का काम है, इसको महसूस कराना तो एक कठिन बात है मगर मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का हरेक आदमी आज यह महसूस करता है कि गांवों के लोगों की हालत बहुत दर्दनाक है। यह हरेक आदमी महसूस करता है कि हमारे गांव के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है। जमीन की हालत अच्छी नहीं है।

The Hon'ble the SPEAKER : Order, order. The hon'ble member is entitled to be heard.

***Mr. RADHAKANT CHOUDHARY :**

आज गांवों के लोगों की आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, तथा दूसरी भी जो अवस्थायें हैं बहुत दयनीय हैं। उन्होंने यह बताया कि दो महीने के लिए लोगों से राय ली जाय। राय के सम्बन्ध में काफी चर्चा इस हाउस में माननीय पुरुषोत्तम चौहान जी के प्रस्ताव के समय हो चुकी है। जब इस हाउस में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जमीन्दारी उठा दी जाय उसके बाद हालत यह हुई कि जमीन्दारों को भी यह विश्वास हो गया कि जमीन्दारी जाने वाली चीज है और किसानों को, रैयतों को भी यह विश्वास बंध सा गया कि जमीन्दारी अब चली जायेगी और उनकी हालत सुधर जायेगी। बाकई क्या हुआ कि समूचे प्रान्त में जो बकाश्त जमीनें जमीन्दारों ने रैयतों को ठीका, बटैया, वगैर की सूरतों में जोतने के लिए दे रखी थी उन्हें उन्होंने अपने कब्जे में करने की ठानी और रैयतों ने भी उन जमीनों पर अपना हक बनाये रखने के लिए, जो वाजिब बात थी, resist किया। पिछले

* Speech not corrected by the hon'ble member.

साल धान को कटनी के वक्त में सारे प्रान्त की क्या दशा हो गयी थी यह हरेक आदमी जानता है। हर जगह पर यह नजारा हो गया था कि मार-पीट और गोलमाल पैदा हो गया और सरकार को फसल की कटनी (harvesting) के काम को चलाने के लिए आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा। अव्यवस्था (lawlessness) हो गई और सरकार के ऊपर कई तरह कि खांछनायें भी लगायी गयीं। पिछली बैठक में हमलोग इस बिल को इस हाउस में पास करके पास कराना चाहते थे लेकिन कई वजहों से यह पेश नहीं हुआ और आज जो यह बिल लाया है यह तो बहुत देर हो गयी। इसके बीच में और क्या हुआ? आज हमारे यहां खाने के सामान की बड़ी कमी हो गयी है हमारा सूबा खाने पीने के सम्बन्ध में deficit है और इसलिए हम अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन (Grow More Food Campaign) चलाना चाहते हैं। उपज बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आबपाशी का प्रबन्ध करें। डेढ़ सौ वर्षों तक जमीन्दारों के पास आबपाशी का काम था। उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। नतीजा यह हुआ कि जो कुछ भी पुराना काम था वह भी गड़बड़ा गया। जितने भी पोखरे, आहर, चंवर, पईन थे, जहां पानी का पहले से इन्तजाम था, जिस पानी से लोग अगल बगल के खेत पटाते थे, उनके इस्तेमाल में भी अड़चन डालने लगी। मकान बनाने और मछली पालने तथा दूसरे तरह से लाभ उठाने में रूकावट लगाने लगे और गरीब किसान अपना खेत नहीं पटा सके। इधर एक साल का जो वक्त उनको मिल गया उसके दरम्यान उन्होंने क्या किया कि खानगी लोगों के हाथ जमीन का बन्दोबस्त करने लगे ताकि आगे चलकर सरकार को भी आबपाशी के काम में उसे लाने में बड़ी मुसीबत उठानी पड़े। इसलिए इसकी आवश्यकता है कि इस बिल को तुरन्त सेलेक्ट कमिटी में भेज दिया जाय। इतना ही नहीं मैं प्रधान मंत्री साहब से आर्जू करूंगा कि उनका लोग बिहार केशरी कहते हैं और जबतक हिन्दुस्तान का इतिहास कायम रहेगा उनका नाम लोगों को स्मरण रहेगा। बिहार के किसान और मजदूर उनका नाम याद रखेंगे। धान की अगला फसल के पहले यह बिल पास कर दें नहीं तो क्या हालत होगी कि धान की फसल कटने के वक्त एक ऐसा upheaval होगा कि जिसको नाशकारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सारे प्रान्त में एक बहुत बड़ी हलचल होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि दो महीने

में इस बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेज करके और फिर इस हाउस के सामने कानूनी रूप दे कर सारे प्रान्त में एक मर्तबे लागू करें। तमाम जमींदारियों को एक साथ गवर्नमेंट को अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। अब सवाल आता है कि इसके बाद क्या होगा, किस किस्म की प्रथा हो। किसी भी किस्म की प्रथा हो, कोई भी स्कीम हो उसको गवर्नमेंट को ही लागू करना पड़ेगा। चाहे present proprietorship की प्रथा हो या चाहे दूसरे, तीसरे, चौथे किस्म की प्रथा हो उसे समाज में लागू करना होगा और उसको लागू करने की एजेन्सी सिवा सरकार के दूसरी नहीं है।

हां, एक बात और है। छोटे जमींदारों के rental income से ही उनका जीवन निर्वाह होता है।

जमींदारों ने सब जगह काफी बकाश्त जमीन बना ली है। बकाश्त जमीन को कहीं वे खुद जोतते हैं और कहीं नौकरों से जोतवाते हैं और इस तरह उनको काफी गल्ला पैदा होता है। किसी के पास तो काफी जमीन है और किसी के पास एक धूर भी जमीन नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को जिनके पास काफी जमीन है और वे अपनी जमीन का खुद बन्दोबस्त नहीं कर सकते, उनसे लेकर ऐसे लोगों को दी जाय जिनके पास जमीन नहीं है। ऐसा करने से खेती की उन्नति होगी, लोगों को काम (employment) मिलेगा और सब जगह सुख और शान्ति रहेगी। इसके लिए जो श्री लक्ष्मण बल्लभ सहाय का मोशन है उसको फौरन हमलोगों को मंजूर कर लेना चाहिए और ऐसा कर उन्होंने गरीबों का बहुत बड़ा उपकार किया है। उन्होंने ठान लिया है कि वे गरीब किसानों की भलाई करेंगे ही जिनकी आबादी हमारे सूबे में ८० प्रतिशत है। हमलोगों को इस चीज को मंजूर करना चाहिए जिस में यह काम जल्द से जल्द हो सके।

Mr. DEVA SARAN SINGH :

माननीय स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव आज इस हाउस में आया है और जिस पर तीन चार रोज से बहस चल रही है उसमें कई प्रधान बातें हैं। जो बातें कही गयी हैं, मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूं। मैं अपना विचार इस हाउस में केवल इसी विषय पर पेश करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेज कर फौरन इसको कानून का रूप दिया जाय या इसको

जनमत के लिए भेजा जाय। सदस्यों के भाषण से साफ जाहिर है कि प्रान्त में इस समय जो भीषण वातावरण है उससे किसानों को बचाना है। किसान उत्सुकता से देख रहे हैं कि कब यह प्रथा खतम हो जायेगी। यह प्रथा भली है या बुरी, यह सब को मालूम है। मैं इस पर कुछ कह कर इस हाउस का वक्त बरबाद नहीं करना चाहता हूं। सवाल यह है कि यह बिल सिलेक्ट कमिटी में जाय या मतसंग्रह के लिए भेजा जाय। श्री चन्द्रेश्वर बाबू के लम्बे भाषण में दो तीन बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात जो उन्होंने कही है वह यह है कि इस बिल के पास करने में जल्दीबाजी क्या है, दो महीनों के लिए इस को बाहर मतसंग्रह के लिए भेजा जाय। आप लोगों को मालूम है कि वर्षों से इस विषय पर अखबारों में और हर प्लेटफार्म पर जोरों से बहस जारी है और लोगों ने अपनी राय दी है। इसको फिर से मतसंग्रह के लिए भेजने से दूसरी राय नहीं मिल सकती है। प्रान्त के अधिकतर लोग यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह प्रथा खतम हो जाये। आप लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट की ओर से बिल मतसंग्रह के लिए बहुत जगहों, संस्थाओं और व्यक्तियों के पास भेजा गया था और उस पर उनकी राय भी आयी हैं। अखबारों में भी इस पर राय छपी हैं जो सब लोगों को मालूम है। यह कहना गलत होगा कि मतसंग्रह करने के लिए गवर्नमेन्ट की ओर से कोशिश नहीं की गयी है। गवर्नमेन्ट ने कोशिश की है और लोगों को इस बिल पर मत देने का मौका भी मिला है। इसलिए मेरा ख्याल है और इस हाउस के अधिकांश मेम्बरों का ऐसा ख्याल होगा कि इस पर अब ज्यादा समय बरबाद करना ठीक नहीं है। कुमार शारानंद ने यह कहा है कि वे इस प्रथा को तारीद (defend) करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं बल्कि इस बिल को मत संग्रह के लिए इसलिए भेजना चाहते हैं जिससे इस पर practical suggestions आवे। मैं तो कहता हूं कि सेलेक्ट कमिटी के स्टेज में इसको भेजा जाय और जिनको practical suggestion देना है, वे वहां भी दे सकते हैं और उस पर बहस मुबाहसा हो सकता है। दोनों तरफ से इस पर बहस होगी और यदि इसमें संशोधन करने की जरूरत समझी जायगी तो संशोधन किया जा सकेगा और यदि सुधार (improvement) करने की जरूरत समझी जायेगी तो सुधार (improvement) किया जायेगा। हां, जिस उसूल पर यह बिल

बना है उसमें बदल बदल नहीं किया जा सकता है। उसके विस्तार (details) पर बहस हो सकता है और जहां जरूरत होगी संशोधन या सुधार (improvement) किया जा सकता है। ऐसी हालत में इस बिल को मतसंग्रह के लिए भेजने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती है। यह कहा गया है कि चन्द्रेश्वर बाबू अपने भाषण में इस प्रथा की तारीद (defend) नहीं की लेकिन जो भाषण उन्होंने दिया उससे यही झलकता है कि उनका अधिकांश समय इस प्रथा के कायम और तारीद (defend) करने में लगा है।

दूसरी बात यह कही गयी है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई दूसरी (alternative) स्कीम नहीं रखी गयी है जिसके जरिये जमींदारी प्रथा के खतम होने पर जमीन से सम्बन्ध रखने वाली बातें बरती जायगी। Statement of Object में यह जाहिर किया गया है कि सरकार इस प्रथा को खतम कर देना चाहती है और जमींदारों के हक और हकूक को लेकर रैयतवारी प्रथा जारी करना चाहती है। रैयतवारी प्रथा के बारे में यह कहा गया है कि वह प्रथा अच्छी नहीं है। उसमें जमींदारों के चंगुल से छूट कर महाजनों के चंगुल में किसान फस जाते हैं उसमें बहुत सी खराबियां हैं। रैयतवारी प्रथा या कोई दूसरी प्रथा के सम्बन्ध में विचार सिलेक्ट कमिटी में किया जायेगा और कौन सी प्रथा जारी होगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता है। अभी यह कहा जाता है कि जब कोई दूसरी (altornative) स्कीम गवर्नमेन्ट के पास नहीं है और न कोई योजना इस हाउस या प्रान्त के सामने है तो इस हालत में इस बिल को मतसंग्रह के लिए क्यों नहीं भेज दिया जाता है। मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि issue को confuse करने के लिए ऐसा कहा जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां तक जल्द हो इस बिल को सिलेक्ट कमिटी में भेज दिया जाय और वहां जैसा मुनासिब समझा जायेगा वैसा संशोधन या सुधार (improvement) कर जहां तक जल्द होगा इसे कानून का रूप दे दिया जाय।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल में कुछ ऐसे provisions हैं जिनकी वजह से ऐसा मालूम होता है कि जमींदारों के हक और हकूक को हासिल (acquire) करने में एक लम्बी अवधि लग जायेगी। गवर्नमेन्ट को इस पर सोचना है कि जमींदारों के हक और हकूक को acquire करने के बाद वह अपने खास कंट्रोल में रखेगी या कोई

दूसरा इन्तजाम करेंगे।, इस पर विचार पीछे भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसा लोग कहते हैं और लोगों की जैसी राय है कि इसमें गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेन्ट को जो administrative difficulties हैं और जो financial obligation है उस को successfully discharge करने में सरकार को वर्षों लग जायेंगे। ये सब बातें और सत्य हैं लेकिन अब हमलोग यह तय कर चुके हैं और जब सब की राय है कि जमींदारी प्रथा को खतम कर दिया जाय तो administrative difficulties और financial difficulties को भी हल करना ही पड़ेगा। इन कठिनाइयों से डरने से काम पीछे हटेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हमलोगों के मार्ग में कठिनाइयां उपस्थित होंगी और उनका मुकाबला करने के लिए हम लोगों को सोचना होगा कि कठिनाइयों को हम किस तरह से दूर करें। दिक्कत होगी और कभी कभी ऐसी भी दिक्कत होगी जिसका मुकाबिला करने में गवर्नमेन्ट को बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जमींदारी खतम न की जाय और जमींदारों को जो हक हकूक हैं उनको कानून के जरिये acquire न कीजिये। यह बात कही गई है जिसको सुन कर आश्चर्य हुआ है। जमींदारों की ओर से कहा गया है कि १५ अगस्त के बाद से किसान लोग सोचने लग गये हैं कि सरकार ने जो योजना जमीन्दारी प्रथा हटाने के लिये तैयार की है वह उनके हित के विपरीत है। यह भी कहा गया है रैयतवारी प्रथा अच्छी नहीं है। श्री चन्द्रेश्वर बाबू ने कहा है कि उनके पास छोटा नागपुर के किसानों की ओर से दरखास्तें आई हैं कि जमींदारी प्रथा रहे, यह सब आश्चर्य की बातें हैं क्योंकि १५ अगस्त के पहले और बाद में हर प्लेटफार्म और हर जगह से यही आवाज़ उठती थी और उठती है कि ज़मीन्दारी प्रथा का नाश जब तक नहीं होगा तब तक प्रान्त की अवस्था नहीं सुधरेगी। मगर आश्चर्य से सुना जाता है कि किसानों की ओर से दरखास्तें आ रही हैं कि जमीन्दारी रहे और इसका कारण यह बताया जाता है कि खास महाल के प्रबन्ध से लोग ऊब गये हैं क्योंकि उसमें खराबियां ज्यादा हो गई हैं इसलिए जमीन्दारों के पास से दरखास्तें भेजने लग गये हैं कि आप हमारे शुभचिन्तक हैं, आपको हमारी तरफ ध्यान देना चाहिये, आप हमें इस कानून के शिकंजे से बचाइये। यह आश्चर्य की बातें हैं। जमुना बाबू ने अपने भाषण में जमीन्दारी और खास महाल की तुलना की

थी और बताया था कि खराबियों के रहते हुए भी खास महाल अच्छा है। आप को मालूम है कि इस गवर्नमेंण्ट को आये हुये १६—१७ महीने हुए हैं। जो पहले से खराबियां थीं और जो मशीनरी थी उसी से काम लेना था जिनके सुधारने में काफ़ी समय की जरूरत है मगर १६ महीनों के अन्दर सुधारने की कोशिश की गई है और हो रही है। इस बात को ख्याल में रख कर १०—१५ वर्षों के आंकड़े देखे जायें तो जरा भी common sense रखने वाले आदमी को मानना पड़ेगा कि जमीन्दारी की बनिस्बत खास महाल में ज्यादा आफियत है। यह कहना गलत है कि खास महाल में ज्यादा तकलीफ़ है और लोग ऊब गये हैं और जमीन्दारी प्रथा खतम करके खास महाल के मातहत रखा जायेगा तो लोगों को दुःख होगा। इन बातों को कह कर कहा गया है कि बिल को मतसंग्रह के लिये भेजा जाना चाहिये। दो चार बातें और कहूंगा तब तक समय भी खतम हो जायेगा।

अब मैं बतलाऊंगा कि क्यों इस बिल को जल्द से जल्द कानून का रूप देना चाहिये। आपलोगों को मालूम है कि इस प्रान्त में जन संख्या बहुत बढ़ गई है। हर साल १ प्रतिशत आबादी बढ़ रही है और २० वर्षों में २० सैकड़े बढ़ गई है। जोतने लायक खेत का रकबा परिमित है। परती और पहाड़ के नजदीक की जमीन जिन में गल्ला उपज सकता है वह भी परिमित है। तो रकबा हम बढ़ा नहीं सकते हैं यानी हम लोग जमीन को बढ़ा नहीं सकते हैं। आप को मालूम ही है कि लाखों टन गल्ला बाहर से आता है। इस समस्या को हमें हल करना है। रकबा तो बढ़ा नहीं सकते हैं तो इसके लिये जरूरत है कि ऐसी आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से की जाय और एक फसल की जगह दो या तीन फसल उपजाने का प्रयत्न होना चाहिये। सैराबी का अच्छा इन्तजाम होना जरूरी है। जमीन्दार अपने १५० वर्ष की जिन्दगी में इस सवाल को हल नहीं कर सके हैं। आप को मालूम है कि दमामी बन्दोबस्त के कायम करने वालों को यह उम्मीद थी कि इस प्रथा से फायदा होगा और जमीन्दार लोग खेती का अच्छा इन्तजाम करेंगे किन्तु उनकी यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी है। जब १५० वर्षों में जमीन्दार लोग इस काम को पूरा नहीं कर सके तो अब क्यों कर उम्मीद की जा सकती है कि वे इसको पूरा करेंगे। इस दृष्टि से भी इस प्रथा को जल्द से जल्द खतम कर देना ही हितकर होगा।

इसी सम्बन्ध में एक दूसरी बात है कि होल्डिंग छोटी छोटी हो गई हैं जिससे खेत uneconomic हो गये हैं। इस प्रश्न को भी जमीन्दार लोग हल नहीं कर सकते हैं। इसको तो गवर्नमेन्ट ही हल कर सकती है और यह सामूहिक खेती के तरीके को अपनाने से हल होगी। सामूहिक खेती जारी करने के लिये जरूरी है कि इस प्रथा को खतम किया जाय।

इस तरह आप जिस दृष्टिकोण से देखें यह मानना ही पड़ेगा कि जमीन्दारी उठाना ही सर्व प्रथम काम है और इसका नाश बहुत जल्द होना चाहिये। इसलिये मतसंग्रह के लिये बिल को भेजने की जरूरत नहीं है।

क्या मैं दो चार मिनट और बोल सकता हूं क्यों कि समय हो गया ?

HOURS OF THE SITTING OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY ON THE 18TH SEPTEMBER, 1947.

The Hon'ble the SPEAKER :

अगर जरूरी हो तो बोल सकते हैं।

It is proposed that discussions should continue up to 6 p. m. today.

PANDIT DHANRAJ SHARMA : Has it been decided, Sir ?

The Hon'ble the SPEAKER : Hon'ble members should be attentive and listen to the statement that is being made by the Chair. It is proposed that we should sit up to 6 p. m.

PANDIT DHANRAJ SHARMA : We should adjourn till tomorrow, Sir.

The Hon'ble the SPEAKER : The discussions have been going on this Bill for the last four days. It is high time that it should be finished today. Without meaning any reflection on any hon'ble member, I say that we have taken much longer time than was necessary. The question is how to finish as quickly now.

Mr. GUPTANATH SINGH : Are you going to finish it today ?

The Hon'ble the SPEAKER : Order, order. Many hon'ble members are still anxious to speak. So, opportunity has to be afforded to them also. I am entirely in the hands of the House. It is proposed that we should sit up to 6 p. m.

Several Hon'ble Members : No. It should be finished tomorrow.

Mr. PRABHUNAH SINHA :

हमलोगों ने तय कर लिया है कि चार घंटा बैठेंगे तो in all fairness हम लोगों को चार घंटा अवश्य बैठना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमलोगों को छः बजे तक बैठना चाहिए।